[Shri S. A. Dorai Sebastian]

not having sufficient stock of medicines, vaccines to cure this disease and there is a fear that this disease will capture all the cattles of Tamil Nadu very soon. The Ministry of Petroleum and Chemicals should study this situation and effective medicines should be sent immediately to save further perishing of cattles.

The Fact-finding team of the Central Government should visit Tamil Nadu immediately and all the relief measures should be rushed-up. More Central allocation of food, medicine and funds should be made available at once to avoid further destruction of cattles and mankind in Tamil Nadu. 'Food for work programme' and 'National Rural Employment Programme' should be implemented on a war-footing scale to save the village people from starvation.

More funds should be allotted for deepening the dried wells, for sinking new wells and drilling borewells for drinking water purposes, as people are searching for water for miles together. The plight of the village people is unimaginable and pathetic.

I, therefore, urge the Central Government to allot interim relief urgently at least up to the tune of Rs. 30 crores as the first instalment before the proposed fact finding team submits its report to the Government.

(v) CLEARANCE OF LEASE PAPERS F R ALLOTMENT OF LAND TO MEMBERS OF HOUSING SOCIETY IN DELHI

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं :

भारत सरकार ने दिल्ली में प्रवास हेतु बहुत सी योजनायें बनाई थीं। इस नीति के अनुसार पिछले 20 वर्षों में बहुत सी ग्रुप हाउसिंग योजनायें स्वीकृत हुई हैं। इन समितियों को जमीन भी पिछले 15–20 वर्षों से दे दी गई है। तब से बहुत सी ऐसी समितियों ने अपना विकास कार्य भी कर लिया है और गाढ़ी कमाई के लाखों रुपए जनता ने, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, इनमें खर्च किए हैं। इनमें से कुछ समितियां जो कि वर्ष 1961 में बनी थीं, अभी तक अपने सदस्यों को जमीन नहीं दे पाई हैं। एक ऐसा ही उदाहरण जो मेरे ध्यान में है वह है योजना आयोग एवं सांख्यिकी विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों की समिति। इस समिति के सदस्य भी अन्य समितियों के सदस्यों की तरह से शीघ्र जमीन मिल जाने के इच्छुक है, जमीन विकास कार्य भी एक साल से अधिक हुए पूरा हो गया है। उनके मकान बनने की कार्यवाही तुरन्त शुरू हो सकती है अगर सरकारी महकमे कागजी कार्यवाही पूरी कर दें। यह बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि देश की योजना बनाने वाले खुद अपने लिए योजना नहीं बना पाए है।

ऐसा समझा जाता है कि यह समस्या, आवास मंत्रालय द्वारा लीज पेपर्स क्लियर न करने की वजह से है। प्रत्येक सदस्य का रजिस्ट्रेशन भी सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को करना है।

मैं इस विषय में योजना एवं आवास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं इस मामले में गौर करें एवं योजना आयोग की समिति के सदस्यों को शीघ्र जमीन एलाट करवायें।

(vi) ELECTIONS TO DELHI METROPOLITAN COUNCIL

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय आज सदन में उठाना चाहता हूं :

दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल, दिल्ली को 20 मार्च, 1980 को भंग किया गया था। कानून के अनुसार कौंसिल के चुनाव